

प्रेषिका.

शिखा रानी जायसवाल,
अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कक्ष सं०-2,
कानपुर नगर।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय, कानपुर नगर।


विषय:—बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में कार्यरत सेवा दिनोंक 23.06.2006 (अपरान्ह से दिनोंक 19.05.2010) को वर्तमान न्यायिक सेवा में जोड़ने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में सादर अवगत कराना है कि उ०प्र०शासन द्वारा 14/2024/सा-3-243/दस-2024/101(1)/2024 के द्वारा राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवा का विज्ञापन 28.03.2005 के पूर्व जारी हो चुका था लेकिन पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित नहीं थे क्योंकि सेवा में 28.03.2005 के पश्चात नियुक्ति प्राप्त की थी। ऐसे सरकारी सेवकों को नयी पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन प्रणाली विकल्प के रूप में चुनने का अवसर प्रदान किया गया है। चूँकि पुरानी पेंशन योजना अधिक लाभकारी है। अतः अधोहस्ताक्षरी नवीन पेंशन योजन के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना में आच्छादित होना चाहती है।

यह भी अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी ने उ०प्र०न्यायिक सेवा माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 223/ए आर (एस)/2010 दिनोंकित 13.05.2010 के अनुपालन में दिनोंक 20.05.2010 को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उत्तर प्रदेश शासन के अधीन बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ में विभाग के अधीन बाल विकास परियोजना अधिकारी पिपरौली गोरखपुर के पद पर कार्यरत रही थी। उ०प्र०शासन के अधीन बाल विकास एवम पुष्टाहार विभाग से सम्बन्धित विज्ञापन संख्या ए२/ई-1/2002 माह अक्टूबर 2002 में प्रकाशित हुआ जो दिनोंक 28.03.2005 के पूर्व की है जिसका संलग्न संख्या 1 है।

उक्त सेवा में प्रार्थिनी द्वारा चयन होने के उपरांत दिनोंक 12.06.2006 को निदेशालय बाल एवम विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नियुक्ति पत्र पत्रोंक संख्या सी 548/बा०वि०परियोजना/सेवा-1/2006-2007 दिनोंकित 12.03.2006 जारी हुआ जो संलग्नक संख्या 2 है जिसके अनुपालन में मेरे द्वारा दिनोंक 23.06.2006 को अपरान्ह में निदेशालय बाल एवम विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ में योगदान दिया गया। तत्पश्चात मेरे द्वारा गोरखपुर में बाल विकास परियोजना अधिकारी जंगलकोडिया के पद पर दिनोंक 30.06.2006 को कार्य भार ग्रहण कर लिया गया। तत्पश्चात आधारभूत



प्रशिक्षण के उपरांत जनपद गोरखपुर में कार्य मुक्त होने तक बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करती रही। जिसका संलग्नक संख्या 3 ता 6 स्वप्रमाणित प्रति है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए बाल विकास एवम पुष्टाहार विभाग द्वारा की अनुमति के उपरांत उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा 2006 का आवेदन किया था जो संलग्नक संख्या 07 से 10 है। उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा 2006 में चयनोपरांत विभाग की अनुमति से पत्रांक संख्या सी334/जि0का0अधि0/स्था0-1/2010-11 दिनांकित 19 मई 2010 के द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त होकर मा0 उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या 223 ए आर (एत)/2010 दिनांकित 13 मई 2010 के अनुपालन में अपर सिविल जज (जू0डि0) मीरजापुर के रूप में दिनांक 20 मई 2010 को कार्यभार ग्रहण किया गया। दिनांक 19 मई 2010 को बाल विकास परियोजना अधिकारी पिपरौली गोरखपुर के पद से औपचारिक रूप से कार्यमुक्ति प्राप्त की गयी थी जिसका संलग्नक संख्या 11 लगायत 17 है।

चूँकि बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद का विज्ञापन वर्ष 2002 में प्रकाशित हुआ था। अतः उक्त पद उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/101(1)/2024 पुरानी पेन्शन योजना से आच्छादित है तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियमानुसार उ0प्र0 न्यायिक सेवा में आवेदन किया गया है तथा बाल एवम पुष्टाहार विभाग से कार्यमुक्त होकर उ0प्र0 न्यायिक सेवा का पदभार ग्रहण किया गया है। अतः उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में कार्यरत रहने के दौरान की गयी सेवा को जोड़ा जाना आवश्यक है जिससे अधोहस्ताक्षरी को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त हो सके।

अतः महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि उ0प्र0शासन के समक्ष बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में कार्यरत रहने की सेवा को उ0प्र0 न्यायिक सेवा में कार्यरत रहने की सेवा में जोड़े जाने की प्रार्थना के साथ पत्र प्रेषित किए जाने की कृपा करे।

सादर।

दिनांक 16.08.2024

भवदीया,
Shikha Rani
 (शिखा रानी जायसवाल)
 अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
 कक्ष सं0-2 कानपुर नगर।

संलग्नक-

1- लोक सेवा आयोग उ0प्र0 द्वारा जारी विज्ञापित सं0 ए जेड/ई-1/2002 की स्वप्रमाणित छाया प्रति


- 2- पत्रॉक संख्या- सी 548/बा0वि0परियोजना/स्था-1/2006-2007 दिनांकित 12.06.2006 निदेशालय बाल विकास सेवा एवम पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत नियुक्तिपत्र की स्वप्रमाणित प्रति
- 3- बाल विकास सेवा एवम पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ में प्रस्तुत योगदान आख्या दिनांकित 23.06.2006 की स्वप्रमाणित प्रति
- 4- निदेशालय बाल विकास सेवा एवम पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ के पत्रॉक संख्या-3345-53/बा0वि0परियोजना/स्था-1/2006-2007 दिनांकित 29.06.2006 जनपद आवंटन की स्वप्रमाणित प्रति
- 5- जनपद गोरखपुर में योगदान आख्या दिनांकित 30.06.2006 की स्वप्रमाणित प्रति
- 6- जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर के पत्रॉक संख्या-सी-851/बा0वि0परियोजना/स्था-1/2006-2007 दि 03 जुलाई 2006 की स्वप्रमाणित प्रति
- 7- जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु प्रेषित पत्र दिनांकित 27.11-18/बा0वि0परियोजना/स्था-1/2006-2007 दिनांकित 10.10.2006 की स्वप्रमाणित प्रति
- 8- निदेशक बाल विकास सेवा एवम पुष्टाहार लखनऊ उ0प्र0 को अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु प्रेषित पत्र दिनांकित 03.11.2008 की स्वप्रमाणित प्रति
- 9- जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर द्वारा निदेशक बाल विकास सेवा एवम पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ को अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु प्रेषित पत्र दिनांकित 1384/बा0वि0परियोजना/स्था-2/2008-2009 दिनांकित 03 नवम्बर 2008 को प्रेषित पत्र की स्वप्रमाणित प्रति
- 10- निदेशक बाल विकास सेवा एवम पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र पत्रॉक /बा0वि0परियोजना/स्था-2/एन0ओ0सी0/2008-2009 दिनांक 12 दिसम्बर 2008 की स्वप्रमाणित प्रति
- 11- जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर द्वारा निदेशक बाल विकास सेवा एवम पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ को प्रार्थिनी के कार्यमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में पत्रॉक 204-5/जि0का0का0/स्था-1/2010-2011 दिनांक 27 अप्रैल 2010 की स्वप्रमाणित प्रति
- 12- जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर को निदेशक बाल विकास सेवा एवम पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ को संख्या/ / बा0वि0परियोजना/स्था-1/2010-2011 दिनांक 07 मई 2010 की स्वप्रमाणित प्रति
- 13- जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर द्वारा पारित आदेश की स्वप्रमाणित प्रति
- 14- उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-4 संख्या 660/दो-4-10-32(1)/2008 लखनऊ 20 अप्रैल 2010 की विज्ञप्ति/सूचना
- 15- माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी शासनादेश संख्या 223/ए आर (एस)/2010 दिनांकित 13 मई 2010 की स्वप्रमाणित प्रति
- 16- कार्यालय जनपद एवम सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर द्वारा पारित आदेश की स्वप्रमाणित प्रति



17- अपर सिविल जज (जू0डि0)मीरजापुर में पदभार ग्रहण करने का प्रमाणपत्र

परिवार न्यायालय, कानपुर-नगर ।

पत्रांक सं०- ~~264~~ दिनांक-16, अगस्त 2024 कानपुर नगर।
माननीय महानिबंधक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।


प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, कानपुर नगर।

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक

/बा0दि0परि0/स्था0-1/2006-07

दिनांक 12 जून, 2006

आदेश

अनुसचिव, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-1453/60-2-2006-2/1(94)/2002, दिनांक 27 अप्रैल, 2006 के साथ संलग्न विशेष सचिव कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र सं0-15/22/2005-का-4-2006, दिनांक 24 अप्रैल, 2006 के क्रम में लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों में से निम्नांकित अभ्यर्थियों को बाल विकास परियोजना अधिकारी वेतनमान रूपया 5000-150-8000 में इतदद्वास अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	पत्र व्यवहार का पता	गृह जनपद	तैनाती जनपद
1.	सुश्री शिखा रानी जायसवाल	द्वारा श्री गोपालजी जायसवाल, अमित पेस्टीसाइड एण्ड सीड ट्रेडर्स, स्टेशन रोड तेतरी बाजार, जिला सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थनगर	गोरखपुर
2.	श्री भारत प्रसाद	द्वारा श्री सहदेव प्रसाद ग्राम खजुरिया शर्की, पोस्ट डेवरूआ, जिला सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थनगर	एटा

इन सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी और संतोषजनक सेवा न होने पर इस अवधि को आगे बढ़ाया भी जा सकता है।

उक्त नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी है तथा शासन के नियुक्ति विभाग-3 अधिसूचना सं0-26-1-74 नियुक्ति-3, दिनांक 11.06.75 द्वारा नियंत्रित होगी जिसके अनुसार उभयपक्ष द्वारा एक माह की नोटिस अथवा नोटिस के बदले एक माह का अग्रिम वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। पदों की समाप्ति पर बिना पूर्व सूचना के ही इनकी सेवाये समाप्त की जा सकती है। इन सभी अधिकारियों/अभ्यर्थियों की तैनाती भविष्य में जनहित में सम्बन्धित सर्ग में प्रदेश के किसी भी जनपद में की जा सकती है।

वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे। प्रथम नियुक्ति होने के कारण योगदान की सूचना प्रेषित करने पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। इनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेरिट के अनुसार होगी। समस्त अभ्यर्थी अपने प्रथम योगदान की सूचना इन्दिरा भवन, तृतीय तल स्थित निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ में दिनांक 25 जून, 2006 तक देंगे जहां उन्हें प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और तत्पश्चात् उनके तैनाती के जनपद में भेजने के पूर्व प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा।

निदेशालय में योगदान करने की तिथि से ही अभ्यर्थी वेतन के हकदार होंगे। योगदान करने की तिथि से प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि तक का वेतन मुख्यालय से आहरित कर भुगतान किया जायेगा जिसका समायोजन उनके तैनाती जनपद के जनपद को आवंटित बजट से किया जायेगा। प्रशिक्षण के उपरान्त सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी अपने-अपने तैनाती के जनपद में योगदान प्रख्या देंगे।


(Handwritten signatures)

*स्वप्रमाणित /
Sukh Raw*

कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नांकित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :-

1. चल तथा अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र।
2. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा अन्यत्र यदि कार्य किया हो तो उसका प्रमाण पत्र।
3. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो स्वयं के रिश्तेदार न हों।
4. विवाह सम्बन्धी घोषणा पत्र।
5. राजपत्रित अधिकारी के सम्बन्ध हस्ताक्षरित राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होने का घोषणा पत्र।


यदि उक्त शर्तें मान्य हो तो उक्त अभ्यर्थियों को चाहिये कि वह दिनांक 25 जून, 2006 तक योगदान की सूचना/प्रमाण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।


(शैलेश कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या 10-549 / तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सम्बन्धित जिला अधिकारी।
4. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी।
8. स्थापना सहायक को इनकी व्यक्तिगत पत्रावली खोलने हेतु।


(नीलम अहलावत)
अपर निदेशक (प्रशासन)

स्वप्रमाणित /
Shiv Rawi

सेवा में

निदेशक

बाल विकास सेवा एवम पुष्पाहार निदेशालय

उ० प्र० लखनऊ

महोदय

निदेशालय के आदेश संख्या C 548/बा.वि.परि०,
स्था० 1/2006-07 दिनांक 12 जून 2006 के द्वारा मेरी
नियुक्ति बाल विकास परियोजना आध्यापिका के पद पर
वेतना-मा० रुपये 5000-150-8000 में की गई है तथा वेतना
जानपद गोरखपुर में की गई है।

उक्त के अनुपालन में मैं बाल विकास परियोजना
आधिकाारी के पद पर अपनी योगदान की सूचना आपकी सेवा
में आज दिनांक 23/06/2006 को अफसरे में प्रस्तुत कर
रही हूँ।

कृपया स्वीकार करने की कृपा करें।

संलग्न -

- ① बाल तथा अल्पसंख्यकों का
घोषणा पत्र
- ② दो राजपत्रित आधिकारिकों
द्वारा प्रदत्त चारित्र्य प्रमाण पत्र
- ③ विवाह सम्बन्धी घोषणापत्र
- ④ राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होने
का घोषणा पत्र
- ⑤ परिवारित्तन स्थायी पत्र का हलफनामा

भक्तदेविका

शिक्षा रानी जायसवाल
पुत्री श्री गोपाल जी जायसवाल
वार्ड नं०- 22 मु०- आजाद-
उरका रोड पोस्ट- बेतरी
थाना - सिद्धार्थ नगर
जिला - सिद्धार्थ नगर

स्वप्रमाणित

Shiv Kumar

Handwritten signature

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक

/बा0वि0परि0/रथा0-1/2006-07

दिनांक 29 जून, 2006

आदेश

लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नांकित बाल विकास परियोजना अधिकारियों के द्वारा निदेशालय से निर्गत नियुक्ति आदेश के क्रम में पद पर योगदान किया गया है। चूंकि अभी प्रथम बैच का प्रशिक्षण प्रारम्भ है जो 15 जुलाई, 2006 तक चलेगा। अतएव इन अधिकारियों को दिनांक 29 जून, 2006 के अपरान्ह से कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे अपने योगदान की सूचना अपनी तैनाती जनपद में दे। इन अधिकारियों का वेतन उनके तैनाती जनपद से आहरित कर भुगतान किया जायेगा, इन अधिकारियों की उपस्थिति उनके नाम के सम्मुख अंकित है। प्रशिक्षण पर जाने की सूचना बाद में भेजी जायेगी।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	जनपद का नाम	निदेशालय में योगदान की तिथि	उपस्थिति अवधि
1.	श्री रेनु वर्मा	फैजाबाद	20.06.2006	20.06.2006 से 29.06.2006
2.	श्री कौशल किशोर सिंह	गोरखपुर	20.06.2006	20.06.2006 से 29.06.2006
3.	श्री सीमान्त श्रीनारतन	बिजनौर	21.06.2006	21.06.2006 से 29.06.2006
4.	श्री श्रीकृष्ण शुक्ल	हगौरपुर	21.06.2006	21.06.2006 से 29.06.2006
5.	श्री अरविन्द कुमार	बरेली	23.06.2006	23.06.2006 से 29.06.2006
6.	श्री भारत प्रसाद	एटा	23.06.2006	23.06.2006 से 29.06.2006
7.	श्री शिखा रानी जायसवाल	गोरखपुर	23.06.2006 अपरान्ह	23.06.2006 से 29.06.2006
8.	श्री विनय कुमार	बरेली	29.06.2006	29.06.2006

उक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को परियोजना का आवंटन सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(शैलेश कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या 3845-53 / तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. सम्बन्धित जिला अधिकारी।
5. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
6. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. व्यक्तिगत पत्रावली/कार्यालय पत्रावली।

(नीलम अहलावत)
अपर निदेशक (प्रशासन)

स्वीकृत /
स्वीकृत

सेवा में

जिला कार्यक्रम अधिकारी
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

महोदय

निदेशालय के आदेश संख्या (3845-53/वा.वि.
परि. 1 स्था. 1/2006-07) दिनांक 23 जून 2006 के
द्वारा मेरी नियुक्ति तैनाती वाले विकास परियोजना अधिकारी
के पद पर गोरखपुर में की गई है।

उक्त के अनुपालन में मैं वाले विकास
परियोजना अधिकारी के पद पर अपनी योग्यता की
सूचना आपकी सेवा में आज दिनांक 30 जून 2006
को अपरान्त में प्रस्तुत कर रही हूँ।

कृपया स्वीकार करने की कृपा करें।

Recd
30/6/06

शुभदीपा शिखरानी
(छात्र सेवा निदेशालय)
वाले विकास परियोजना
अधिकारी

30/06/2006

समाप्त

- ① जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित निदेशालय के आदेश की प्रति
- ② सम्बन्धित वरिष्ठ/मध्य कोषाधिकारी को प्रेषित निदेशालय के आदेश की प्रति
- ③ परिवर्तित स्थायी पत्र का हस्तपत्र

शुभदीपा शिखरानी

Shikharani

आदेश

निदेशात्मक काम विकास सेवा एवं पुस्तकालय, 3050 तबानड के आदेश सं- 3845-53 दिनांक 29-6-2006 के अनुपालन में सुधी रिजारा-रानी, जयसवाल, काम विकास परिषदका अधिकारी के सह पर काम-नोरखपुर में दिनांक 30-6-2006 को बोनफायन प्रस्तुत की है।

सुधी रिजारा-रानी जयसवाल को काम विकास परिषदका बंजरीडिका, नोरखपुर में रिक्त काम विकास परिषदका अधिकारी के सह पर सतत द्वारा तैनात किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

उठ/-

जिनाधिकारी
नोरखपुर।

कार्यालय जिना कार्यक्रम अधिकारी, नोरखपुर।

सं. 85/वा.वि.परि/एन-1/2006-07 दिनांक: 03 जुलाई 2006

प्रतिपत्ति:- निम्नलिखित को तूयनाय एवं आवाक कार्यवाही हेतु देखा।

- 1- निदेशक, काम विकास सेवा एवं पुस्तकालय, 3050 तबानड ।
- 2- जिनाधिकारी, नोरखपुर।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, नोरखपुर।
- 4- महासेवाकार, 3050 तबानड ।
- 5 - कोषाधिकारी, नोरखपुर।
- 6- काम विकास परिषदका अधिकारी बंजरीडिका, नोरखपुर।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी ।

स्वप्रमाणित /
Shiv Kumar

am/03/07/06

जिना कार्यक्रम अधिकारी
नोरखपुर।

गोराखुर,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
गोराखुर।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं बुझटाहार
उपखण्ड लखनऊ।

क्रमांक 2717-18 / बा 0वि0परि0स्था-1/2006-07 दिनांक 10.10.06

प्रति,
अधिकारी

कु० शिखारानी जाबतवाल, बाल विकास परिषद जना
अधिकारी जंगल बौड़िया, गोराखुर द्वारा बी० ती० हत० पे० वर्षा 2006 एवं
तहासक अभियोजन अधिकारी वर्षा 2006 की प्रारम्भिक परीक्षा में
सम्मिलित होने हेतु अनुमति संबंधी प्रार्थना पत्र हत पत्र के साथ संलग्न
कर आबकी सेवा में अनुमति हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- बधायेपरि

भावदीप

Jay
जिला कार्यक्रम अधिकारी
गोराखुर
10

बुझटांकन 2717-18 / तददिनांक

प्रतिलिपि:-

कु० शिखारानी जाबतवाल, बाल विकास परिषद जना
अधिकारी जंगल बौड़िया, गोराखुर को सूचनाार्थ।

Jay
जिला कार्यक्रम अधिकारी
गोराखुर
10

स्वयंसाहाय
Sudh Kanu

सेवा में

निदेशक

बाल विकास सेवा एवम पुष्पाहार
लखनऊ, उ० प्र०

द्वारा - उचित माध्यम

माहोदय,

सार्वजनिक निवेदन है कि मैं बाल विकास
परियोजना अधिकारी के पद पर पिपराही, गोरखपुर
में कार्यरत हूँ। मुझे उ० प्र० न्यायिक सेवा
सिर्विस जाल (जू० आई०) वर्ष 2006 का साक्षात्कार
दिनांक 19/11/08 को देना है। सादर अवगत
करना है कि इस निमित्त मुझे अनापत्ति प्रमाण
पत्र की आवश्यकता है।

अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि

आप मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करके
की कृपा करें।

वन्दनार्थक।

शुभ्र कृपा

श्री प्रकाश

1100 ई० निदेशक विकास
सेवा में कार्यरत हूँ।
द्वारा - उचित माध्यम

लखनऊ

भवदीया

श्रीमती
ता० वि० पी० अधिकारी
पिपराही, गोरखपुर

प्रकाश

जिला कार्यक्रम अधिकारी
गोरखापुर ।

सेवा में,

निदेशक
बाल विकास सेवा एवं पुष्टहार
उमृओ लखनऊ ।

पत्रांक: 1384 / वाओविओपरिओ/स्थाओ-2/2008-09 दिनांक: 3 नवम्बर-08

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्रसंख्या-2717-18/वाओविओपरिओ/स्थाओ-1/2006-07 दिनांक-10-10-06 का संदर्भ लेने की कृपा करें । उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि कुओ शिखारानी जायवाल, बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा पीओसीओसओकेओवका 2006 एवं त्हायके अभियोजन अधिकारी की प्रारम्भिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति चाही के क्रम में कुओ शिखारानी जायवाल बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा दिनांक-3-11-2008 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है ।

अतः कुओ शिखारानी जायवाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि नियमानुसार सम्बन्धित अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें ।

संलग्नक- 1- प्रार्थना पत्र दिओ-3-11-2008

2- पत्रसंख्या-2717-18 की छायाप्रति ।

भावदीय,

§ सिराज अहमद §
जिला कार्यक्रम अधिकारी
गोरखापुर ।

स्वयंसाक्षर
Shihl Rawi

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्पाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक / बा0वि0परि0/स्था0-2/एन0ओ0सी0/2008-09, दिनांक : 12 दिसम्बर, 2008

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

श्रीमती/सुश्री शिखा रानी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, गोरखपुर को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 03 नवम्बर, 2008 के आधार पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) वर्ष 2006 के साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति एतद्वारा निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

1. साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिये आने जाने हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
2. नियमानुसार देय अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
3. यदि साक्षात्कार में सम्मिलित होने के फलस्वरूप शासकीय कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो प्रदान की गयी स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री शिखा रानी का चयन उक्त पद पर हो जाता है, विभाग को इन्हें कार्यमुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

(चन्द्र प्रकाश)
निदेशक

पुष्पांकन संख्या 15183-86 / तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोरखपुर।
3. सुश्री शिखा रानी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, गोरखपुर।
4. कार्यालय प्रति।

[Handwritten Signature]

(जे0बी0 सिंह)
अपर निदेशक (प्रशासन)

स्वप्रमाणित /
Shiv Rawi

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
गोरखपुर

सेवा में,

निदेशक
बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार
उ०प्र० लखनउ

पत्रांक २०५०५/जि०का०का०/स्था०-१/२०१०-११/दिनांक २७ अप्रैल, २०१०
विषय:- सुश्री शिखारानी जायसवाल बाल विकास परियोजना अधिकारी पिपरौली
गोरखपुर का कार्यमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सुश्री शिखा रानी जायसवाल बाल विकास परियोजना अधिकारी पिपरौली का संलग्न प्रार्थना पत्र दिनांक २७-०४-२०१० का अवगत करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि सुश्री शिखारानी जायसवाल का चयन उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज जू०डी० के पद पर हुआ है। उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-४ के आदेश सं० ६६०/दो-४-१०-३२(१)/२००८ दिनांक २० अप्रैल २०१० के द्वारा अनापत्ति/नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जाकर महाविबन्धक से सम्पर्क स्थापित करने का निर्देश प्राप्त है। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार उ०प्र० लखनउ के पत्र सं०: १५१३३-८६/स्था०-२/एन०ओ०सी०/२००९-१०/दिनांक १२-१२-२००८ द्वारा पूर्व में ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है। सुश्री जायसवाल ने अपने प्रार्थना पत्र में नियमानुसार बाल विकास परियोजना अधिकारी पिपरौली के पद से कार्यमुक्त किए जाने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त के क्रम में सुश्री शिखारानी जायसवाल बाल विकास परियोजना अधिकारी पिपरौली गोरखपुर का प्रार्थना पत्र मूल रूप में, उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग का उपरोक्त पत्र दिनांक २० अप्रैल २०१० एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि नियमानुसार सुश्री जायसवाल को कार्यमुक्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही/निर्देश देने का कष्ट करें।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सेराज अहमद) २७/४/१०

जिला कार्यक्रम अधिकारी
गोरखपुर

पु० सं० २०५०५/तद दिनांक

प्रतिलिपि:- सुश्री शिखारानी जायसवाल बाल विकास परियोजना अधिकारी पिपरौली
गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

Received
Shaw
27/4/10

स्वप्रजाती /
Anita Kaur

जिला कार्यक्रम अधिकारी
गोरखपुर

13/5/10

पंजीकृत / स्पीडपोस्ट।

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या / / बा0वि0परि0 / स्था-1 / 2010-11 दिनांक 07 अप्रैल, 2010

12

जिला कार्यक्रम अधिकारी
जनपद गोरखपुर।

कृपया अपने कार्यालय पत्र सं0-204-05 / जि0का0का0 / स्था0-1 / 2010-11 दिनांक 27, अप्रैल, 2010 का अवलोकन करें जिसके द्वारा सुश्री शिखा रानी जायसवाल बाल विकास परियोजना अधिकारी पिपरौली जनपद गोरखपुर की नियुक्ति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनु0-4 के आदेश सं0-660 दिनांक 20-4-2010 की छाया प्रति संलग्न कर भेजते हुये सुश्री जायसवाल को कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश चाहे गये है। इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि पूर्व में ही निदेशालय पत्र सं0-16047 / बा0वि0परि0 / स्था-1 / 2009-10 दिनांक 03-03-2010 द्वारा सुश्री शिखा रानी जायसवाल बाल विकास परियोजना अधिकारी को नियमानुसार कार्यमुक्त किये जाने हेतु निर्देश दिये जा चुके है।

अतः निदेशालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सुश्री शिखा रानी जायसवाल बाल विकास परियोजना अधिकारी पिपरौली जनपद गोरखपुर से समस्त शासकीय प्रभार प्राप्त कर नियमानुसार कार्यमुक्त करें तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(देवेन्द्र नाथ वर्मा)
निदेशक।

पृ0सं0 / 2038-39 / तददिनांक।

प्रतिलिपि: सुश्री शिखा रानी जायसवाल, बाल विकास परियोजना अधिकारी पिपरौली जनपद गोरखपुर।

स्वामीनी /
Shilpa Rani

(देवेन्द्र नाथ वर्मा)
निदेशक।

प्रमुख सचिव उन्तिर प्रेषा शासन नियुक्ति अनुभाग-4 पत्र संख्या 660/वा-4-10-32
 111/2008 लखनऊ दिनांक 20 अप्रैल 2010 के द्वारा सुश्री शिखा रानी जायसवाल की
 तैनाती सिविल जज जूनियर डिबिजन के पद पर की गयी है के क्रम में माओ रजिस्ट्रार
 जनरल उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश सं 224 एओआर/एसओ/2010 दिनांक
 13 मई 2010 द्वारा सुश्री शिखा रानी जायसवाल की तैनाती सिविल जज जूनियर डिबि
 जन के पद पर जनपद मिर्जापुर में किये जाने के फलस्वरूप निकालत बाल विकास सेवा
 एवं पुष्पाहार उओओ लखनऊ के पत्र सं 16247 /बाओविओपरिओ/स्थाओ-1/2010-10/
 दिनांक 03 मार्च 2010 के क्रम में सुश्री शिखा रानी जायसवाल बाल विकास परियोजना
 अधिकारी पिपरीली गोरखपुर को आज दिनांक 19-5-2010 के अमरान्द से कार्यभार
 किया जाता है।

सेराज अहम
 जिला कार्यक्रम अधिकारी
 गोरखपुर।


कार्यालय:- जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर।

पत्रांक C-334 /जि. का. आध./स्थाओ-1/2010-11/दिनांक 19 मई 2010

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सादर सूवनार्थ एवं आभ्यर्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव नियुक्ति अनुभाग-4 उओओ शासन लखनऊ।
2. माओ रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
3. माओ जिला जज जनपद मिर्जापुर।
4. निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्पाहार उओओ लखनऊ।
5. जिलाधिकारी गोरखपुर।
6. मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. व्यक्तिगत पत्रावली।

शुभ-कामि


 19/5/10
 जिला कार्यक्रम अधिकारी
 गोरखपुर।

(14)

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-660/दो-4-32(1)/2008
लखनऊ: दिनांक 20 अप्रैल, 2010

विज्ञापित/नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 2008 के आधार पर यथनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतनमान रु0 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में सिविल जज (जूनियर डिप्टीजन) के पद पर वरिष्ठ एवं पूर्व वृत्त संतोषजनक पाये जाने एवं पूर्व में जारी विज्ञापित/नियुक्ति संख्या-752/दो-4-2009-32 (1)/2008 दिनांक 24.3.09, संख्या-1247/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक 01.4.09, संख्या-1539/दो-4-2009-32(1)/08 दिनांक 22.4.09 संख्या-1653/दो-4-2009-32(1)/08 दिनांक 8.5.09 संख्या-2057/दो-4-09-32(1)/08 दिनांक 21.5.09, संख्या-2208/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक 2.6.09, संख्या-2167/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक 10.6.09, संख्या-2319/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक 12.6.09, संख्या-2417/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक 23.6.09, संख्या-2974/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक-7.8.09 संख्या-3205/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक 20.8.09, संख्या-3414/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक 8.9.09 संख्या-3574/दो-4-2009-32(1)/2008, दिनांक 11.11.09, संख्या-4305/दो-4-2009-3(1)/2008 दिनांक 16.12.09 एवं पत्र संख्या-4541/दो-4-09-32(1)/08 दिनांक 5.1.2010 एवं पत्र संख्या-4541ए/दो-4-09 दिनांक 09 फरवरी 2010 के अनुक्रम में निम्नलिखित 02 अभ्यर्थियों की नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-1347(एम/बी)/09 अविनाश चन्द बनाम लोक सेवा आयोग व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पता
1-	श्री आनन्द प्रिय गौतम पुत्र श्री रामप्रकाश	द्वारा श्री सुनील मल्होत्रा एच.-71 लाजपत नगर-1 नई दिल्ली-110024
2-	सुश्री शिखा रानी जायसवाल पत्नी श्री गोपाल जी	अमित एगो एजेन्सी निकट-वन विभाग आजाद नगर, उसका रोड सिद्धार्थ नगर- 272207

2- उपरोक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के आदेश अलग से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

स्वयंसाक्षर /
Shiv Ranvi

राज्यपाल की आज्ञा से,
Qee
(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव।

(2)

संख्या-660(1)/दो-4-32(1)/2008, तददिनांक।

- प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
- 1- निदेशक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को उ०प्र० गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।
 - 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-68/14/ई-2/2007-08 दिनांक 18.12.08 एवं संख्या-200/14/ई/07-08 दिनांक-17.6.09 के संदर्भ में।
 - 3- अपर निदेशक कोषागार, निदेशालय उ०प्र० शिविर कार्यालय कचहरी रोड, इलाहाबाद
 - 4- अपर निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र० गोमती नगर लखनऊ।
 - 5- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ०प्र० शासन लखनऊ।

पंजीकृत

6- सम्बन्धित अभ्यर्थियों को इस निर्देश सहित प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर उनके द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों के अनुसार एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने पद का कार्यभार, अवश्य ग्रहण कर लें। यदि बिना समुचित कारणों के वह मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है तो उसकी लिखित सूचना महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा प्रमुख सचिव, नियुक्ति अनुभाग-4 को तत्काल भेजें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल जज (जू.डि.) के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ० प्र० लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर उन्हें विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

अभ्यर्थी को जब तक सिविल जज (जू.डि.) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं हो जाती है वह तब तक स्थायी कर्मचारियों पर लागू शासकीय अधिसूचना संख्या-20/1/74 नियुक्ति-3 दिनांक 11.6.75 में दी गई शर्तों के अधीन रहेंगे। अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

7- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

विशेषाह्व

8- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस विज्ञप्ति की 02 प्रतियों, सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये आवेदन प्रपत्रों एवं उनके संलग्नकों सहित मूलरूप में तथा उपरोक्त 02 अभ्यर्थियों के विषय में चिकित्सा परिषद की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मूलरूप में इस मंतव्य के साथ प्रेषित कि अभ्यर्थी द्वारा मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में बिना समुचित कारणों के अपना योगदान

सेवा में प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी स्थिति से शासन को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के सम्बन्ध में निर्गत होने वाले मा० न्यायालय के आदेश की प्रति तथा अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/समय सहित सूचना शासन को कृपया तत्काल प्रेषित की जाये।
9-गार्ड फाइल।

स्वयंसाक्षर /
Siddh Kumar

आज्ञा से,
सुनील कुमार
(डा० सुनील कुमार)
अनु सचिव।

(15)

**HIGH COURT OF JUDICATURE AT
ALLAHABAD**

NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: May 13, 2010

No. **222** /AR(S)/2010

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. 660/II-4-10-32(1)/2008 dated 20.04.2010 Sri **Anand Priya Gautam**, candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Ghazipur.

No. **223** /AR(S)/2010

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. 660/II-4-10-32(1)/2008 dated 20.04.2010 Smt. **Shikha Rani Jaiswal**, candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Mirzapur.

BY ORDER OF THE COURT,

**(DINESH GUPTA)
REGISTRAR GENERAL**

No. **224** AR(S)/2010 Dated: Allahabad : May 13, 2010

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. **The Executive Chairman**, U.P. State Legal Services Authority, Third Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow-226001.
2. **Pramukh Sachiv**, Niyukti, U.P. Shasan, Lucknow.
3. **Pramukh Sachiv**, Nyay Evam Vidhiparamarshi, Uttar Pradesh Shasan, Lucknow.
4. **The Director**, Institute of Judicial Training & Research, Vincet Khand, Gomti Nagar, U.P. Lucknow requesting him to impart Induction Training to aforesaid newly appointed Civil Judge, Junior Division in their wisdom. (Information available on E-mail).
5. **The Additional Director**, Treasury, Camp Office, First Floor, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad.
6. **The District & Sessions Judges**, Ghazipur & Mirzapur along with photocopy of U.P. Government Appointment/Notification No. No. 660/II-4-10-32(1)/2008 dated 20.04.2010 (Information available on E-mail).

District & Sessions Judges, are directed that to permit the newly appointed candidates Civil Judge, Junior Division, to take over charge on the post.

Copy of the charge certificates of the candidate Civil Judge Junior Division be sent to the Assistant Registrar (Services), High Court, Allahabad.

श्री अनाद प्रिया गौतम
Shikha Rani

The District & Sessions Judges are directed to make arrangement for field training in the judgeship for newly recruited/ appointed candidates of Civil Judge, Junior Division as per instruction contained in letter No. 416/A.R.(S)/3-A/2009 dated 03.09.2009.

It is to add that local arrangement shall be made by you in pursuance of Court's Circular Letter No.27/D.R.(S)/2000 dated 21.6.2000.

7. (i) Sri Anand Priya Gautam, S/o Sri Ram Prakash, C/o Sri Sunil Kumar Mahotra, H-71 Lajpat Nagar-1, New Delhi-110024.
- (ii) Smt. Shikha Rani Jaiswal W/o Sri Gopal Ji, Amit Agro Agency, Near Forest Department, Azad Nagar, Uska Road, Siddharthnagar-272207.

Above-mentioned appointed candidate Civil Judge, Junior Division will proceed to take over charge of their place of posting immediately.

Newly appointed candidate Civil Judge, Junior Division should note that their appointment to the post of Civil Judge, Junior Division in U.P. Nyayik Sewa is purely temporary and until they are absorbed and appointed as permanent Civil Judge, Junior Division. They shall be subjected to general conditions of services applicable to temporary Government servant contained in Government Notification No. 20/1/74-Niyukti-3, dated June 11, 1975 and also under the condition laid down in U.P. Government Notification/Appointment No. 660/II-4-10-32(1)/2008 dated 20.04.2010.

8. The Publication Secretary, U.P. Judicial Services Association Office, A-1, River Bank Judges Colony, Lucknow.
9. The Registrar (Confidential), High Court, Allahabad.
10. The Officer on Special Duty (Litigation), High Court, Allahabad.
11. The Officer on Special Duty (Computer)/ In charge Computer Centre, High Court, Allahabad.
12. The Joint Registrar (Budget), High Court, Allahabad.
13. The Section Officer (Admin. A-3) Section, High Court, Allahabad.
14. The Section Officer (Admin. H) Section, High Court, Allahabad.
15. The Director, Printing & Stationary, U.P. Allahabad for publication of the notification in the next issue of the Gazette.
16. P.S. to Hon'ble Judges, High Court of Judicature at Allahabad & Lucknow Bench, Lucknow. (Information available on E-mail).

BY ORDER OF THE COURT.

A. Srivastava
(VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA)
ASSISTANT REGISTRAR (SERVICES)


कार्यालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, मी रजापुर ।

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नोटिफिकेशन संख्या-223/ए आर §सस§/ 2010 दिनांकित 13.05.2010 के अनुसार कैण्डी डेट कुमारी शिखारानी जायसवाल की नियुक्ति अपर सिविल जज §अवर वर्ग§, मी रजापुर के पद पर हुई है । तदनुसार उन्हें प्रथम अपर सिविल जज §अवर वर्ग§, मी रजापुर के न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया जाता है ।


सम्बन्धित अधिकारी को सूचित किया जाय ।

दिनांक : 20.05.2010


जनपद न्यायाधीश,
मी रजापुर ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- कुमारी शिखारानी जायसवाल, प्रथम अपर सिविल जज §जू०डि०§, मी रजापुर ।


वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
जनपद न्यायालय, मी रजापुर ।

*स्वप्रामाण्य /
Anil Kauri*

CHARGE CERTIFICATE (TAKING OVER)

Certified that the charge of Addl. Civil Judge(J.D.), Mirzapur has been taken over under the order of the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad vide its notification no. 223/AR(S)/2010, Dated: Allahabad: May 13, 2010 as herein denoted in the forenoon of 20.05.2010.

Relieving Officer

Shikha
(Km. Shikha Rani Jaisawal)

Countersigned.

[Signature]
District Judge,
Mirzapur

Copy forwarded to :

- 1. J.No. 684/2010⁵¹. The Registrar General, High Court of Judicature at Allahabad.
- 2. J.No. 685/2010⁵². The Joint Registrar (Computer), High Court of Judicature at Allahabad.
- 3. The Sachiv, U.P. Shasan, Nyay Vibhag, Luck now.
- 4. J.No. 686/2010⁵³. The Deputy Registrar (Services), High court of Judicature at Allahabad.
- 5. J.No. 687/2010⁵⁴. The Joint Director, Camp office, Treasury Directorate, U.P. New Treasury Building (1st floor), Kutchhery Road, Allahabad.
- 6. J.No. 688/2010⁵⁵. The Chief Treasury Officer, Mirzapur.
- 7. J.No. 689/2010⁵⁶. The Manager, State Bank of India, Mirzapur.
- 8. J.No. 690/2010⁵⁷. The Officer Concerned.

[Signature]
20/5/10

Senior Administrative Officer
District Court,
Mirzapur.

शिक्षिका - 1
Shikha Rani